तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 20/2023 अनवान पुराराम बनाम किस्तुराराम
13/10/23	**निर्णय** पत्रावली पेश हुई। प्राथी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल, कोई हाजिर नहीं। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी पूराराम की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश एन सारण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 11 के संयुक्त खातेदारी के अविभाजित खेत मौजा बांकासर, पटवार क्षेत्र सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 831 रकबा 17.8628 हेक्टेयर आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का 1/12 हिस्सा व शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 से 11 के खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हिस्से राजस्व रेकर्ड में खुले हुए हैं तथा इन्हीं हिस्सों के माफिक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 11 विवादित भूमि पर काबिज है। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ है, परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य भूमि के मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कायम सेढ़ों को तोड़ने को लेकर झगड़ा रहता है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जा काश्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है व मौके पर नया निर्माण कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने तथा बेचान करने हेतु प्रयासरत है, जबकि वादग्ररत भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ होने से सामलाती भूमि में यदि अप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण या बेचान करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान या निर्माण करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, लिहाजा मौजा बांकासर, पटवार क्षेत्र सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर	

के खेत खसरा संख्या 831 रकबा 17.8628 हेक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात मैंने वाद पत्रावली एवं आवेदन पत्र का अवलोकन किया। उपर्युक्त विवेचनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है और सुविधा का संुतलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है, लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बांकासर, पटवार क्षेत्र सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 831 रकबा 17.8628 हेक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर